UPCH010001332022

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जनपद चित्रकूट ।

उपस्थित–शेष मणि .....एच0जे0एस0

सत्र वाद संख्या– 32 / 2022

राज्य उत्तर प्रदेश

––––––––––अभियोजन

बनाम

विवेक उर्फ बउवा यादव पुत्र स्व0 राजकिशोर यादव निवासी ग्राम रैपुरवा माफी थाना कर्वी जनपद चित्रकूट। ––––––––अभियुक्त

मु0अ0सं0–228 / 2017
धारा–363, 366 भा0दं0सं0
(नई धारा 137(2), 87 बी0एन0एस0)
थाना कर्वी, जनपद चित्रकूट ।

बचाव पक्ष की ओर से श्री ननकूराम यादव, एडवोकेट
अभियोजन की ओर से श्री श्यामसुन्दर मिश्रा, डी0जी0सी0(क्रि0)

<u>अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षीगण</u>

क्र0 सं0	साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	विवरण
1	पी0डब्लू0–1	शारदा उर्फ मुन्नीलाल	वादी मुकदमा
2	पी0डब्लू0–2	रीता	तथ्य की साक्षी
3	पी0डब्लू0–3	जयकरन	तथ्य का साक्षी
4	पी0डब्लू0–4	भोला	तथ्य का साक्षी
5	पी0डब्लू0–5	पीडिता	तथ्य की साक्षी
6	पी0डब्लू0–6	हे0का0 संदीप कुमार उपाध्याय	प्रथम सूचना रिपोर्ट व जी0डी0 लेखक
7.	पी0डब्लू0–7	उपनिरीक्षक राजेश कुमार मिश्र	विवेचक
8.	पी0डब्लू0–8	मोरतध्वज शुक्ला	पीडिता के जन्मतिथि को साबित करने वाले साक्षी

साबित दस्तावेज

क्र0 सं0	प्रदर्श	दस्तावेज	साबित करने वाले साक्षी
1	प्रदर्श क–1	तहरीर	पी0डब्लू0–1
2	प्रदर्श क–2	पीडिता के धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान	पी0डब्लू0–5
3	प्रदर्श क–3	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	पी0डब्लू0–6
4	प्रदर्श क–3ए	घटनास्थल का रेखाचित्र	पी0डब्लू0–7
5	प्रदर्श क–4	जी0डी0सं0–22 समय 11.45 बजे	पी0डब्लू0–6

Digitally signed by SHESH MANI SHUKLA
Date: 2026.05.08 14:29:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

6	प्रदर्श क–4ए	आरोपपत्र	पी0डब्लू0–7
7	प्रदर्श क–5	पीड़िता का आयु प्रमाणपत्र	पी0डब्लू0–8
8.	प्रदर्श क–6	पीडिता का अंकपत्र	पी0डब्लू0–8

साबित भौतिक वस्तु

क्र0 सं0	भौतिक वस्तु प्रदर्श सं0	भौतिक वस्तु का विवरण	साबित करने वाले साक्षी
1	–	–	–

निर्णय

1. अभियुक्त विवेक उर्फ बउवा यादव का विचारण वर्तमान न्यायालय द्वारा मु0अ0सं0– 228/2017 धारा 363, 366 भा0दं0सं0 (नई धारा 137(2), 87 बी0एन0एस0) के अन्तर्गत थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा प्रस्तुत आरोपपत्र के आधार पर किया गया है।

2. वादी शारदा प्रसाद उर्फ मुन्नीलाल आरख द्वारा दी गयी घटना की लिखित तहरीर के अनुसार अभियोजन पक्ष का केस है कि ''प्रार्थी की नातिन 'पीडिता' उम्र लगभग 16 वर्ष दिनॉक 09.02.2016 की रात्रि में गॉव के गनेश प्रसाद पुत्र कुढउवा श्रीवास धोबी के घर में औरतों के गाना बजाने के कार्यक्रम में सम्मिलित होने गयी थी। औरतों के कार्यक्रम में नातिन 'पीडिता' की मॉ व बड़ी अम्मा भी गयी थी। उक्त कार्यक्रम की रात्रि समय लगभग 12 बजे उसकी नातिन 'पीडिता' पेशाब करने हेतु बाहर निकली तभी गॉव का लड़का विवेक उर्फ बउवा यादव पुत्र स्व0 राजकिशोर व लम्बरिया पुत्र रामफल यादव बहला फुसलाकर गलत नीयत से भगा ले गये हैं जिन्हें ले जाते हुए नातिन 'पीडिता' की मॉ रित्तू व उसकी बड़ी अम्मा ऊषा ने देखा है। रित्तू व ऊषा ने उक्त घटना की बात अपने घर में बताया तब प्रार्थी व उसके लड़के जयकरन व भोला 'पीडिता' का पता लगाने विवेक उर्फ बउवा के घर गये तो विवेक की दादी बिन्दी पत्नी मइयादीन ने अपने घर का दरवाजा नहीं खोला और कहा कि चाबी नहीं है, मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है। विवेक उर्फ बउवा, लम्बरिया तथा बउवा की दादी बिन्दी ने मिलकर एक राय होकर उसे गायब करा दिया है। विवेक व लम्बरिया तभी से गायब हैं। प्रार्थी को शंका है कि मेरी नातिन 'पीडिता' को जान से न मार डाले या उसके साथ गलत व्यवहार करके बेच डाले। प्रार्थी आज तक बराबर पता लगाता रहा लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है, जब प्रार्थी को पता नहीं चला तब प्रार्थी उक्त घटना की रिपोर्ट करने आया है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी की रपट दर्ज करके उपरोक्त लोगों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने की कृपा की जाये।''

3. वादी मुकदमा शारदा प्रसाद उर्फ मुन्नीलाल पी0डब्लू0–1 द्वारा दी गयी तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध मु0अ0सं0–228/2017

धारा 363 भा0दं0सं0 पंजीकृत किया गया जिसका प्रविष्टि नकल रपट सं0–22 समय 11.45 बजे में किया गया।

4. विवेचनाधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना करते हुए साक्षीगण के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत लेखबद्ध किये गये। घटनास्थल का रेखाचित्र तैयार किया गया। पीड़िता की बरामदगी के पश्चात उसका बयान धारा 164 दं0प्र0सं0 न्यायालय में अंकित कराया गया। दौरान विवेचना एकत्र की गयी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त विवेक उर्फ बउवा यादव के विरूद्ध धारा 363, 366 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोपपत्र प्रेषित किया गया।

5. प्रेषित आरोपपत्र पर दिनॉक 20.05.2019 को अपराध का प्रसंज्ञान लेते हुए विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मामला अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण आदेश दिनॉकित 12.01.2022 द्वारा प्रकरण को विचारार्थ सत्र न्यायालय (इस न्यायालय) को उपार्पित कर दिया गया।

6. आरोप के बिन्दु पर मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा सुनवाई करके दिनॉक 03.03.2022 को विवेक उर्फ बउवा यादव के विरूद्ध धारा 363, 366 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत लिखित रूप से आरोप विरचित किया गया जिसके संबंध में अभियुक्त ने दोषी होने का अभिवाक न करते हुए विचारण की मॉग की।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–1 शारदा उर्फ मुन्नीलाल, पी0डब्लू0–2 रीता, पी0डब्लू0–3 जयकरन, पी0डब्लू0–4 भोला, पी0डब्लू0–5 पीडिता, पी0डब्लू0–6 हे0का0 संदीप कुमार उपाध्याय, पी0डब्लू0–7 उपनिरीक्षक राजेश कुमार मिश्र एवं पी0डब्लू0–8 मोरतध्वज शुक्ला को परीक्षित कराया गया है।

8. अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षीगण के मुख्य बयान को यहॉ सन्दर्भित किया जा रहा है जिसका विश्लेषण प्रतिपरीक्षा के साथ निर्णय में आगे किया जायेगा।

9. साक्षी शारदा उर्फ मुन्नीलाल बतौर पी0डब्लू0–1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि यह घटना लगभग 6 वर्ष पहले की है। घटना के समय प्रार्थी की नातिन पीड़िता की उम्र लगभग 15–16 वर्ष थी। जिस रात घ ाटना हुयी थी उस रात को गांव के गनेश प्रसाद पुत्र कुढउवा धोबी के घर में औरतों के गाना–बजाना के कार्यक्रम में सम्मिलित होने मेरी नातिन अपनी मां व बड़ी अम्मा के साथ गयी थी। उक्त कार्यक्रम की रात्रि को समय लगभग 12 बजे प्रार्थी की नातिन पेशाब करने हेतु बाहर निकली थी, तभी गांव का विवेक उर्फ बउवा यादव पुत्र राजकिशोर व लम्बरिया पुत्र रामफल ने मेरी नातिन को बहला–फुसलाकर गलत नीयत से जबरन पकड़कर ले गये थे। मेरी नातिन को ले जाते हुये नातिन की मां रित्तु व बड़ी अम्मा ऊषा ने देखा था। मेरी नातिन

पीडिता की मां व बड़ी अम्मा इस घटना की बात अपने घर में आकर हमलोगों से बताया था। तब मैं और मेरा लड़का जयकरन व भोला पीडिता का पता लगाने विवेक उर्फ बउवा के घर रात्रि में ही गये थे। वहां पर विवेक की दादी मिली थी और उसने अपने घर का दरवाजा नहीं खोला तथा हम लोगों से कहा कि उक्त घर की चाबी नहीं है और कहा कि मेरे घर में मेरे अलावां और कोई नहीं है। इसके बाद हम लोगों ने विवेक की दादी से काफी देर तक बातचीत करते रहे और कहा कि चाबी मंगाकर दरवाजा खोल दो परन्तु उसने चाबी मंगाकर दरवाजा नहीं खोला। इस पर हम लोग अपने घर वापस आ गये थे और हमको पूरा विश्वास हो गया था कि विवेक के घर में ही मेरी नातिन पीडिता को कमरे में बन्द किया गया है। इसके बाद मैं अपनी नातिन का पता लगाता रहा और जब नहीं मिली तो मैने प्रार्थना पत्र टाइप कराकर प्रार्थनापत्र पर अपने हस्ताक्षर बनाकर चौकी शिवरामपुर में रिपोर्ट दर्ज करने हेतु स्वयं गया था। इसके बाद जब मेरी नातिन पूजा ढेड–दो वर्ष बाद शिवरामपुर चौकी में मिली थी तो मुझको बताया था कि विवेक और लम्बरिया जबरजस्ती मुझको पकड़ ले गये थे और शुरू में अपने घर में रखे थे और विवेक व लम्बरिया मेरी नातिन को कहते थे कि चिल्लाओगी तो हम तुम्हे जान से मार डालेंगे। जब मेरी नातिन को पुलिस ने बरामद किया था तो पुलिस मेरी नातिन को कर्वी बयान दिलाने हेतु लेकर आये थे। इस घटना के बावत दरोगा जी ने मुझसे पूछताछ किया था। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज सं0 5क घटना के लिखित प्रार्थनापत्र पर बने अपने हस्ताक्षर को देखकर साक्षी ने पहचाना और पुष्टि किया जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया।

10. साक्षी रीता बतौर पी0डब्लू0–2 ने मौखिक साक्ष्य में यह कथन किया है कि यह घटना आज से लगभग 4–5 वर्ष पहले की है। घटना के समय मैं, मेरी जेठानी श्रीमती ऊषा देवी व मेरी पुत्री पीडिता साथ में गांव के गणेश प्रसाद धोबी के घर रात्रि 9:00 बजे औरतों के गाना–बजाने के कार्यक्रम में सम्मिलित होने गयी थी। उक्त कार्यक्रम रात्रि के लगभग 12:00 बजे तक चला था। इसी समय मेरी पुत्री पीडिता कार्यक्रम से उठकर पेशाब करने के लिये धोबी के मकान से बाहर गयी थी तभी गांव का लड़का विवेक उर्फ बउवा यादव पुत्र राजकिशोर व लम्बरिया पुत्र रामफल यादव मेरी पुत्री पीडिता को बहला फुसलाकर गलत नीयत से भगा ले गये। मेरी पुत्री पीडिता की उम्र घटना के समय लगभग 14 वर्ष थी। मैने व मेरी जेठानी ऊषा ने उक्त घटना को देखा था। इसके बाद हम दोनों लोग अपने घर आकर अपने ससुर शारदा प्रसाद से उक्त घटना के बारे में बताया था तब मेरे ससुर, पति, जेठ अपनी लड़की का पता लगाने के लिये विवेक उर्फ बउवा के घर गये तो विवेक की दादी बिन्दी ने

अपने घर का दरवाजा नहीं खोला और यह कहा कि इस घर की चाबी नहीं है और कहा कि मेरे घर में मेरे अलावां कोई नहीं है। इसके बाद हमलोगों ने अपनी लड़की की काफी खोजबीन किया परन्तु हमारी लड़की नहीं मिली। तब मेरे ससुर ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी। जब मेरी लड़की लगभग दो वर्ष बाद चौकी शिवरामपुर में मिली तो मेरे पूछने पर मेरी लड़की ने मुझको बताया था कि मेरे साथ विवेक उर्फ बउवा व लम्बरिया ने गलत काम (बलात्कार) किया है।

11. साक्षी जयकरन बतौर पी0डब्लू0–3 ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 09.02.2017 को रात्रि 9:00 बजे पड़ोसी गनेश प्रसाद के घर औरतों के गाना बजाना के कार्यक्रम में सम्मिलित होने मेरी पुत्री पीडिता अपनी मां रीता देवी व मेरी भाभी उषा देवी के साथ गयी थी। कार्यक्रम में रात 12:00 मेरी पुत्री पीडिता पेशाब करने गनेश प्रसाद के घर से बाहर निकली तो वहीं बाहर गांव का लड़का विवेक उर्फ बउवा पुत्र स्व0 राजकिशोर बहला फुसलाकर ले गया था। मेरी भाभी उषा ने बउवा को अपने साथ पीडिता को ले जाते हुये देखा था। मेरी भाभी व मेरी पत्नी ने घर आकर मुझे बताया तो मैं अपने बड़े भाई भोला व पिता शारदा प्रसाद के साथ लड़की की तलाश किया। मेरी भाभी उषा विवेक उर्फ बउवा के घर पीडिता की पूछताछ करने गयी लेकिन बउवा के घरवालों ने घर का दरवाजा नहीं खोला था। इसके बाद हम अपनी लड़की की तलाश करते रहे और मेरे पिता जी ने थाने में जाकर तहरीर दिया था। लगभग दो वर्ष बाद चौकी शिवरामपुर की पुलिस ने हमको सूचना दिया कि तुम्हारी लड़की मिल गयी है। इस सूचना पर हम चौकी जाकर अपनी लड़की को घर ले आये थे। लड़की ने हम सबसे बताया था कि विवेक उर्फ बउवा मुझे भगाकर सूरत ले गया था। दरोगा जी ने मेरे बयान लिये थे।

12. साक्षी भोला बतौर पी0डब्लू0–4 ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मेरे छोटे भाई जयकरन की पुत्री पीडिता आज से लगभग 8 वर्ष पूर्व समय 9:00 बजे रात्रि पड़ोसी गनेश प्रसाद के घर में औरतों के गाना बजाने के कार्यक्रम में अपनी मां सुनीता देवी व मेरी पत्नी उषा देवी के साथ गयी थी। उक्त कार्यक्रम में मेरी भतीजी पीडिता लगभग 12:00 बजे पेशाब करने गनेश प्रसाद के घर से बाहर निकली तभी गांव का विवेक उर्फ बउवा यादव व लम्बरिया मेरी भतीजी पीडिता को बहला फुसलाकर भगा ले गये। यह घटना मेरी पत्नी उषा देवी और मेरे छोटे भाई जयकरन की पत्नी श्रीमती रीता देवी ने देखा है जो घर आकर मुझसे व मेरे पिता को ये सारी बात बतायी। मैं व मेरे पिता जी ने विवेक के घर गये तो विवेक की दादी श्रीमती बिन्दी से कहा कि पीडिता को घर से बाहर निकालो दरवाजा खोलो तो दादी बिन्दी ने दरवाजा नहीं खोला और कहा कि चाभी नहीं है और मेरे घर में मेरे अलावां और कोई नहीं है। इसी

बात से हमें अहसास हुआ कि विवेक उर्फ बउवा व लम्बरिया व श्रीमती बिन्दी ने मिलकर मेरी भतीजी पीडिता को गायब कर दिये हैं। उसी दिन से विवेक उर्फ बउवा व लम्बरिया गायब थे, गांव में नहीं दिखायी दिये। मुझे शंका थी कि ये तीनों अभियुक्तगण मेरी भतीजी पीडिता के साथ गलत व्यवहार करके उसे मार डालेंगे। ये बयान मैने दरोगा जी को दिया था। इस घटना के सम्बन्ध में मेरे पिता जी ने थाने में तहरीर दी थी।

13. साक्षी पीडिता बतौर पी0डब्लू0–5 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं पढी लिखी नहीं हूं, केवल हस्ताक्षर बना लेती हूं। यह घटना लगभग 7 वर्ष पहले ठण्डी के महीने की है। पड़ोस में एक शादी का कार्यक्रम था जिसमें मैं अपने मां के साथ वहां गयी थी। अभियुक्त विवेक उर्फ बउवा ने अपनी दादी से मुझको बुलवाया और मुझको बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर पहले शिवरामपुर लाया और वहां से एक चार पहिया वाहन से मुझको बांदा ले गया और बांदा से ट्रेन से मुझको सूरत वापी ले गया। विवेक उर्फ बउवा वापी में पहले से रहता था। वहां कमरा ले रखा था। उसी कमरे में मुझको रखा था। रास्ते में ले जाते समय मैं अपने घर जाने के लिये दबाव बनाती रही लेकिन वह मुझको इस बात की धमकी दिया कि अगर तुम घर जाने की जिद करोगी तो तुम्हारे घर वालों की हत्या कर देंगे। मारे डर के मैं उसके साथ चली गयी। विवेक उर्फ बउवा ने वहां मेरे साथ मेरी इच्छा के विपरीत मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। कहीं जाता था तो बाहर से ताला बन्द करके जाता था। इस घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जब विवेक उर्फ बउवा पर दबाव पड़ा तो मुझको मेरे गांव के बाहर छोड़कर चला गया। घटना के समय मैं 17 वर्ष की थी। विवेचक ने मेरा मजिस्ट्रेट के यहां बयान कराया था। मैं विवेक उर्फ बउवा के साथ अपनी मर्जी से नहीं गयी थी। मुझको आसपास के लोगों से बात नहीं करने देता था। कमरे के बाहर भी मुझको कभी नहीं ले जाता था। कई बार मैने भागने का प्रयास किया तो मुझको मारा पीटा था। इसी डर के चलते मैं न चाहते हुये भी उसी कमरे में रहती थी। इसके कमरे में अन्य कोई नहीं आता जाता था। जब भी मेरे साथ गलत काम करता था तो मैं उसका विरोध करती थी तो वह मुझको मारता था और जान से मारने की धमकी देता था।

14. पत्रावली में दाखिल बयान धारा 164 द0प्र0सं0 को न्यायालय की अनुमति से बचाव पक्ष के सामने सील बन्द लिफाफा खोला गया और उसको पढकर सुनाया गया तो साक्षी ने बताया कि मैने न्यायालय में जो भी बयान दिये थे वह बयान विवेक उर्फ बउवा के दबाव में दिया था, उस समय मैं डरी हुयी थी। दादी के द्वारा ले जाने वाली बात मैने विवेक उर्फ बउवा के दबाव में आकर कहा था। उस समय मैं काफी डरी हुयी थी इसलिये अपने साथ विवेक उर्फ बउवा द्वारा

जो घटना कारित की गयी है उसमें तमाम चीजें मैं नहीं बता पायी थी, लेकिन यह बात सही है कि मैं विवेक उर्फ बउवा के साथ उसके बहलाने फुसलाने पर गयी थी और उसने मेरे साथ डरा धमका कर मेरी इच्छा के खिलाफ जबरजदस्ती बलात्कार करता रहा। पत्रावली में दाखिल कागज संख्या 54क **बयान धारा 164 द0प्र0सं0** को देखकर साक्षी ने बताया कि इसमें लगी हुयी फोटो व हस्ताक्षर मेरे हैं, जिसकी मैं पुष्टि करती हूं, जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। विवेचक ने मेरे बयान लिये थे।

15. साक्षी हे0का0 संदीप कुमार बतौर पी0डब्लू0–6 ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 25.02.2017 को मैं थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट में बतौर कान्सटेबिल मोहर्रिर कार्यलेख पर मौजूद था कि शारदा प्रसाद उर्फ मुन्नीलाल निवासी रैपुरवा माफी चित्रकूट मय एक किता तहरीर हिन्दी लिखित टाइपपशुदा के उपस्थित थाना हाजा आये। प्रार्थना पत्र के आधार पर मेरे द्वारा अपराध संख्या 228/2017 कम्प्यूटर पर ऑपरेटर मनीष वर्मा से किता कराकर धारा 363 भा0द0सं0 का अभियोग बनाम विवेक उर्फ बउवा, लम्बरिया व श्रीमती बिन्दी निवासीगण रैपुरवा माफी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट के विरूद्ध पंजीकृत किया, जिसका खुलासा मेरे द्वारा रोजनामचा आम दिनांक 25.02.2017 रपट संख्या 22 समय 11:45 बजे किया गया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 4क/1 लगायत 4क/2 **प्रथम सूचना रिपोर्ट** को देखकर साक्षी ने बताया कि इस पर मेरे हस्ताक्षर बने हुये हैं, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 6क/3 **जी0डी0** मेरे द्वारा तैयार की गयी थी, यह जी0डी0 22 दिनांक 25.02.2017 को समय 11:45 बजे मेरे द्वारा तैयार की गयी थी, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया।

16. साक्षी उपनिरीक्षक राजेश कुमार मिश्र बतौर पी0डब्लू0–7 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 03.01.2019 को अपराध संख्या 228/2017 धारा 363 भा0द0सं0 की विवेचना ग्रहण करते हुये मेरे द्वारा पर्चा संख्या 38 किता करते हुये पूर्व में किये गये विवेचना का अवलोकन किया गया। दिनांक 10.02.2019 को पर्चा संख्या 39 किता करते हुये पूर्व पर्चों का ही अवलोकन किया गया। दिनांक 06.04.2019 को पर्चा संख्या 40 किता करते हुये नकल रपट का अवलोकन तथा पीड़िता के बयान लिये गये। दिनांक 06.04.2019 को ही पर्चा संख्या 40ए किता करते हुये नकल मेडिकल अवलोकन किया गया। दिनांक 08.04.2019 को पर्चा संख्या 41 किता करते हुये अवलोकन धारा 164 सी0आर0पी0सी0 किया गया तथा प्रधानाचार्य का बयान अंकित किया गया। दिनांक 09.04.2019 को ही पर्चा संख्या 42 किता करते हुये मजीद बयान पीड़िता

के लिये गये। दिनांक 11.04.2019 को पर्चा संख्या 43 किता करते हुये साक्ष्य के आधार पर 366 भा0द0सं0 की बढोत्तरी की गयी और गिरफ्तार अभियुक्त के बयान लिये गये। दिनांक 23.04.2019 को पर्चा संख्या 44 किता करते हुये उसी दिन उस अदालत में दो पीड़िताओं का बयान हुआ था जिसके कारण अपराध संख्या रिपोर्ट में 228/2017 के जगह 164/2019 सहवन लिख गया था जिसके सुधार हेतु माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र दिया गया था तथा अवलोकन धारा 164 सी0आर0पी0सी0 के बयान की नकल किया गया तत्पश्चात् स्वतन्त्र साक्षीगण के बयान अंकित किये गये थे तथा बयान व अन्य साक्ष्यों के आधार पर श्रीमती बिन्दी पत्नी मइयादीन और लम्बरिया की नामजदगी गलत पायी गयी। दिनांक 24.04.2019 पर्चा संख्या 45 रिमाण्ड हेतु किता किया गया। दिनांक 24.04.2019 को पर्चा संख्या 45ए किता करते हुये सम्पूर्ण साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात् अभियुक्त विवेक उर्फ बउवा के खिलाफ धारा 363,366 भा0द0सं0 का आरोप बखूबी साबित होने के पश्चात् आरोप पत्र माननीय न्यायालय दाखिल किया गया।

17. मुझसे पूर्व मेरे पूर्व विवेचक एस0आई0 प्रेमचन्द्र यादव जो उस समय मेरे साथ कर्वी थाना में तैनात थे और जनपद के अन्य थानों में भी मेरे साथ काम किया था। इनके द्वारा दिनांक 25.02.2017 को पर्चा संख्या 1 किता करते हुये नकल चिक, नकल रपट व एफ0आई0आर0 लेखक के बयान लिये गये। दिनांक 26.02.2017 को पर्चा संख्या 2 किता करते हुये बयान वादी शारदा प्रसाद, साक्षी गणेश प्रसाद, चश्मदीद साक्षी श्रीमती रीता देवी व उषा देवी के बयान अंकित किये गये और घटना स्थल का निरीक्षण किया गया, साथ ही साक्षी जयकरण आरख व भोला आरख के भी बयान लिये गये। दिनांक 08.03.2017 को पर्चा संख्या 3 किता करते हुये पीड़िता व अभियुक्त की विभिन्न स्थानों में तलाशी हेतु कार्यवाही की गयी। दिनांक 14.03.2017 को पर्चा संख्या 4 किता करते हुये विभिन्न स्थानों में तलाशी हेतु दबिश दी गयी। दिनांक 16.03.2017 पर्चा संख्या 5 किता किया जिसमें दबिश हेतु पर्चा किता किया गया है। दिनांक 17.03.2017 पर्चा संख्या 6 किता किया जिसमें दबिश हेतु किता किया गया। दिनांक 17.03.2017 को पर्चा संख्या 7 किता करते हुये अभियुक्तगण के गिरफ्तारी प्रपत्र निर्गत कराये गये। दिनांक 18.03.2017 को पर्चा संख्या 8 दबिश हेतु किता किया गया। दिनांक 21.03.2017 को उक्त अपराध की विवेचना एस0आई0 सुजीत कुमार सिंह को सुपुर्द की गयी। दिनांक 22.03.2017 को पर्चा संख्या 9 किता करते हुये सुजीत कुमार सिंह द्वारा पूर्व पर्चों का अवलोकन किया गया। दिनांक 08.04.2017 को पर्चा संख्या 10 तथा दिनांक 16.04.2017 को पर्चा संख्या 11 किता किये गये जिसमें अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी।

तत्पश्चात् दिनांक 25.04.2017 को एस0आई0 सुजीत कुमार सिंह के स्थानान्तरण के पश्चात् उक्त अपराध की विवेचना एस0आई0 वीरेन्द्र त्रिपाठी के द्वारा की गयी। दिनांक 12.05.2017 को पर्चा संख्या 13 किता करते हुये एस0आई0 वीरेन्द्र त्रिपाठी ने पूर्व किता किये हुये पर्चों का अवलोकन किया। दिनांक 25.05.2017 को पर्चा संख्या 14 किता किया जिसमें सी0डी0आर0 का अवलोकन करने हेतु उनके द्वारा पत्र प्रेषित किया गया। दिनांक 15.06.2017 को पर्चा संख्या 15 किता करते हुये अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी। इसके पश्चात् उक्त अपराध की विवेचना एस0आई0 वीरेन्द्र त्रिपाठी को स्थानान्तरण के पश्चात् दिनांक 25.06.2017 को पर्चा संख्या 16 किता करते हुये एस0आई0 शरद चन्द्र पटेल ने विवेचना प्रारम्भ की। दिनांक 03.07.2017 को पर्चा संख्या 17 किता करते हुये इनके द्वारा पूर्व पर्चों का अवलोकन किया गया। दिनांक 19.08.2017 को पर्चा संख्या 18 किता करते हुये अभियुक्त विवेक उर्फ बउवा की सुरागरसी की गयी। दिनांक 30.09.2017 को पर्चा संख्या 19 में अभियुक्तगणों की सुरागरसी की गयी। दिनांक 26.10.2017 को पर्चा संख्या 20 व दिनांक 12.11.2017 पर्चा संख्या 21 व दिनांक 24.12.2017 को पर्चा संख्या 22 व दिनांक 10.01.2018 को पर्चा संख्या 23 व दिनांक 13.02.2018 को पर्चा संख्या 24 में अभियुक्तगण की सुरागरसी की गयी। एस0आई0 शरद चन्द्र के स्थानान्तरण के बाद उक्त अपराध की विवेचना दिनांक 06.03.2018 को पर्चा संख्या 25 किता करते हुये माननीय न्यायालय से अभियुक्तगण के एन0बी0डब्ल्यू0 प्राप्त करने हेतु एस0आई0 प्रेमचन्द्र यादव ने प्रार्थना पत्र दिया था। दिनांक 21.03.2018 को पर्चा संख्या 26 किता करते हुये अभियुक्तगण की सुरागरसी की गयी। दिनांक 02.04.2018 को पर्चा संख्या 27 में उक्त अपराध की विवेचना एस0आई0 रामबीर सिंह ने ग्रहण किया और पूर्व किता किये हुये पर्चों का अवलोकन किया। दिनांक 11.04.2018 को पर्चा संख्या 28, दिनांक 25.04.2018 को पर्चा संख्या 29, दिनांक 21.05.2018 को पर्चा संख्या 30, दिनांक 09.06.2018 को पर्चा संख्या 31, दिनांक 28.06.2018 को पर्चा संख्या 32, दिनांक 16.07.2018 को पर्चा संख्या 33, दिनांक 30.08.2018 को पर्चा संख्या 34, दिनांक 21.10.2018 को पर्चा संख्या 35, दिनांक 18.11.2018 पर्चा संख्या 36, दिनांक 02.12.2018 पर्चा संख्या 37 में अभियुक्तगण की तलाशी हेतु सुरागरसी की गयी। तत्पश्चात उक्त अपराध की विवेचना एस0आई0 पंकज कुमार सिंह ने ग्रहण करते हुये इनके द्वारा पूर्व पर्चों का अवलोकन किया गया।

18. उक्त अपराध में इन सभी विवेचकों ने इस जनपद में मेरे साथ काम किया था, इसलिये मैं इनके हस्ताक्षर को अच्छी तरह से जानता और पहचानता हूं। पत्रावली में दाखिल कागज संख्या 8क **नक्शा नजरी** मेरे पूर्व विवेचक प्रेमचन्द्र यादव द्वारा तैयार की गयी थी जो उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है,

जिनको मैं अच्छी तरह से जानता पहचानता हूं, तथा उनके बने हुये हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। कागज संख्या 16क पीड़िता के जन्मतिथि के सम्बन्ध में प्रधानाचार्य मूरतध्वज शुक्ला द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र संलग्न सी0डी0 किया गया। कागज संख्या 3क/1 लगायत 3क/6 **आरोप पत्र** मेरे द्वारा तैयार कराकर माननीय न्यायालय दाखिल किया गया, जिस पर मेरे हस्ताक्षर बने हुये हैं, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया।

19. साक्षी मोरतध्वज शुक्ला, प्रधानाचार्य शिवसहांय विद्या मंदिर शिवरामपुर, चित्रकूट बतौर पी0डब्लू0–8 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं वर्ष 2017 में श्री शिव सहांय विद्या मन्दिर शिवरामपुर में प्रधानाचार्य के पद पर तैनात था। यह विद्यालय वर्ष 1997 में शुरू हुआ था तब से मैं इस विद्यालय का लगातार प्रधानाचार्य हूं। वर्ष 2012 में पीडिता मेरे इस विद्यालय से कक्षा–3 उत्तीर्ण किया था। मेरे गजट रजिस्टर में पीडिता का नाम क्रमांक संख्या 1 में दर्ज है जिसकी जन्मतिथि 09.04.2002 अंकित है। आज मूल गजट रजिस्टर जिसमें पीडिता का नाम और जन्मतिथि अंकित है, मैं न्यायालय में लेकर आया हूं। मेरे द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र और अंकपत्र से मिलान किया गया तो पीडिता की जन्मतिथि 09.04.2002 अंकित है। पत्रावली में दाखिल कागज संख्या 16क मेरे द्वारा विवेचक को दिया गया प्रमाणपत्र संलग्न है, जिसको मैने अपने हाथ से लिखा था और अपने हस्ताक्षर बनाकर और मुहर लगाकर विवेचक को दिया था। इस प्रमाणपत्र में बने हुये अपने हस्ताक्षर की मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया। पत्रावली में दाखिल कागज संख्या 7क छायाप्रति अंकपत्र पीडिता का है जिसको मेरे द्वारा प्रमाणित किया गया है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर बने हैं, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–6** डाला गया।

20. अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्त विवेक उर्फ बउवा यादव के बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 (नई धारा 351 बी0एन0एस0एस0) लेखबद्ध किया गया जिसमें अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया कि अभियोजन कथानक झूठा है। अभियोजन साक्षियों द्वारा झूठी साक्ष्य अभिलिखित करायी गयी है। पुलिस द्वारा झूठी साक्ष्य एकत्रित करके झूठे अभिलेख तैयार किये गये हैं तथा उसके झूठी साक्ष्य के आधार पर आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। अभियुक्त को सफाई साक्ष्य प्रस्तुत का अवसर प्रदान किया गया लेकिन उसने कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने से इन्कार किया।

21. मैने अभियुक्त की तरफ से विद्वान अधिवक्ता श्री ननकू राम यादव एवं राज्य की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) श्री श्याम सुन्दर

मिश्रा को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

22. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्त ने कोई घटना कारित नहीं किया है। अभियुक्त वादी की नातिन को बहला फुसलाकर नहीं ले गया बल्कि अभियुक्त को गॉवदारी की रंजिश के कारण झूठा फॅसाया गया है। अभियोजन द्वारा परीक्षित तथ्य के साक्षी हितबद्ध साक्षी हैं जिनके साक्ष्य में महत्वपूर्ण विरोधाभाष है। अभियुक्त के विरूद्ध झूठी साक्ष्य संकलित की गयी है। पुलिस द्वारा वादी के झूठे कथानक के आधार पर फर्जी अभिलेख तैयार करके अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि पीडिता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 व 164 दं0प्र0सं0 में कहीं भी यह नहीं कहा है कि आयुक्त सम्भोग या विवाह हेतु उसे भगाकर ले जाया गया। पीडिता घटना के समय पूर्णतया वयस्क थी। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 363, 366 भा0दं0सं0 का अपराध उपलब्ध साक्ष्यों से नहीं बनता है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से अभियुक्त के विरूद्ध आक्षेपित आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होते हैं तथा अभियुक्त आक्षेपित आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

23. राज्य की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि दिनॉक 09.02.2017 को गॉव के गनेश प्रसाद के यहॉ कार्यक्रम में सम्मिलित होने रात्रि में पीड़िता गयी थी और जब वह रात्रि 12 बजे बाहर पेशाब करने के लिए निकली तभी अभियुक्त द्वारा पीड़िता को वादी की विधिपूर्ण संरक्षकता से अयुक्त सम्भोग व विवाह आदि का झॉसा देकर उसे बहला फुसलाकर लिवा ले गया और उसे सूरत (वापी) ले गया और घटना के दो वर्ष बाद दबाव के कारण पीडिता को गॉव छोड गया। तथ्य के साक्षीगण ने अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए कथित घटना की पुष्टि किया है तथा पुलिस द्वारा मामले की विवेचना की गयी और विवेचना के उपरान्त संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। अभियुक्त के द्वारा कारित घटना अभियोजन साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है तथा अभियुक्त अधिरोपित आरोप में दोषसिद्ध किये जाने व दण्डित किये जाने योग्य है।

24. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 393 (पुरानी धारा 354 दं0प्र0सं0) को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत सत्र परीक्षण के विचारार्थ निम्न अवधार्य बिन्दु विरचित किये जाते हैं –

1. क्या घटना दिनॉक 09.02.2017 को पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम थी?

2. क्या घटना दिनॉक 09.02.2017 को समय लगभग 12 बजे

रात्रि को अभियुक्त द्वारा पीडिता को वादी की विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यपहरण किया गया है?

3. क्या अभियुक्त द्वारा पीडिता के व्यपहरण करने का उद्देश्य पीड़िता के साथ विवाह या आयुक्त सम्भोग करना था?

25. **<u>निस्तारण अवधार्य बिन्दु सं0–1</u>**

प्रदर्श क–1 जिसे वादी मुकदमा द्वारा दिनॉक 25.02.2017 को थाने पर दिया गया था, में घटना दिनॉक 09.02.2016 टंकित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2 में घटना की तिथि 09.02.2017 का उल्लेख है। साक्षी पी0डब्लू0–3 ने अपने बयान में घटना दिनॉक 09.02.2017 की बतायी है तथा कागज सं0–18क धारा 161 दं0प्र0सं0 के बयान में भी पीड़िता ने घटना दिनॉक 09.02.2017 की ही बतायी है। साक्षी पी0डब्लू0–6 ने दिनॉक 25.02.2017 को थाने में आकर वादी मुकदमा द्वारा तहरीर दिये जाने का कथन किया है। इस बिन्दु पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न कोई आपत्ति की गयी है और न ही कोई जिरह की गयी है। ऐसी स्थिति में यह तथ्य साबित है कि घटना दिनॉक 09.02.2017 की है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि टंकण की त्रुटि से वर्ष 2017 के स्थान पर 2016 टंकित हो गया है।

26. वादी द्वारा प्रस्तुत तहरीर प्रदर्श क–1 में घटना दिनॉक 09.02.2017 को पीडिता की उम्र लगभग 16 वर्ष होने का उल्लेख किया गया है। पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा शारदा उर्फ मुन्नीलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में घटना के समय उसकी नातिन (पीडिता) की उम्र लगभग 15–16 वर्ष होने का कथन किया है। प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि पीडिता अपनी बड़ी बहन से पॉच वर्ष कम उम्र की है। घटना के समय पीड़िता की उम्र लगभग 14–15 वर्ष थी। पी0डब्लू0–2 रीता ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसकी लड़की (पीडिता) की उम्र घटना के समय लगभग 14 वर्ष थी। पी0डब्लू0–5 पीडिता ने अपने बयान में अपनी उम्र घटना के समय 17 वर्ष होने का कथन किया है। पी0डब्लू0–8 मोरतध्वज शुक्ला प्रधानाचार्य श्री शिवसहांय विद्या मंदिर शिवरामपुर, चित्रकूट द्वारा अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि वह वर्ष 2017 में श्री शिवसहाय विद्या मंदिर शिवरामपुर में प्रधानाचार्य के पद पर तैनात था। यह विद्यालय वर्ष 1997 से शुरू हुआ था तब से वह इस विद्यालय का लगातार प्रधानाचार्य है। वर्ष 2012 में पीडिता इस विद्यालय में कक्षा–3 उत्तीर्ण किया था। उसके गजट रजिस्टर में पीड़िता का नाम क्रमांक सं0–1 में दर्ज है जिसकी जन्मतिथि 09.04.2002 अंकित है। आज मूल गजट रजिस्टर में पीडिता का नाम और जन्मतिथि अंकित है जिसे न्यायालय लेकर आया है। उसके द्वारा दिये गये प्रमाणपत्र और अंकपत्र से मिलान किया गया तो पीड़िता की जन्मतिथि

09.04.2002 अंकित है। पत्रावली में दाखिल कागज सं0– 16क उसके द्वारा विवेचक को दिया गया प्रमाणपत्र संलग्न है जिसको उसने अपने हाथ से लिखा था और अपने हस्ताक्षर बनाकर और मुहर लगाकर विवेचक को दिया था। इस प्रमाणपत्र में बने हुए हस्ताक्षर की पुष्टि करता है जो प्रदर्श क–5 है। पत्रावली में दाखिल कागज सं0– 7क छायाप्रति अंकपत्र पीडिता का है जिसको उसके द्वारा प्रमाणित किया गया है जिसपर उसके हस्ताक्षर बने हैं जिसकी पुष्टि करता है जो प्रदर्श क–6 है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि उसने पीडिता की जन्मतिथि उसके पिता के बताये अनुसार ही अंकित किया था, अपने से अंकित नहीं किया था। जब साक्षी से प्रश्न किया गया कि पीडिता की उम्र कम या ज्यादा हो सकती है तो साक्षी ने उत्तर दिया कि हमसे इससे लेना देना नहीं है। जो उसके पिता ने बताया, उसने वही जन्मतिथि अंकित कर दिया था। पीडिता प्रतिदिन स्कूल आती थी।

27. उल्लेखनीय है कि कथित घटना दिनॉक 09.02.2017 की बतायी गयी है तथा पी0डब्लू0–8 मोरतध्वज शुक्ला प्रधानाचार्य द्वारा स्कूल के रजिस्टर में अंकित पीड़िता की जन्मतिथि घटना के समय 09.04.2002 बतायी है तथा साक्षी द्वारा पीड़िता की आयु के संबंध में विवेचक को दिये गये प्रमाणपत्र प्रदर्श क–5 एवं पीड़िता के अंकपत्र की छायाप्रति प्रदर्श क–6 की पुष्टि करते हुए पीड़िता की जन्मतिथि 09.04.2002 होने का कथन किया गया है। उपरोक्त घटना दिनॉक 09.02.2017 एवं पीड़िता की जन्मतिथि 09.04.2002 को विचारगत रखते हुए पीड़िता की घटना के समय आयु 14 वर्ष 10 माह होना दृष्टिगोचर है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित है कि प्रश्नगत घटना की तिथि 09.02.2017 को पीडिता की उम्र 18 वर्ष से कम थी तथा वह अवयस्क थी। तद्नुसार अवधार्य बिन्दु सं0–1 निर्णीत किया जाता है।

28. **<u>निस्तारण अवधार्य बिन्दु सं0–2</u>**

इस अवधार्य बिन्दु के संबंध में यह देखा जाना है कि क्या घटना दिनॉक 09.02.2017 को समय लगभग 12 बजे रात्रि को अभियुक्त द्वारा पीडिता को वादी की विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यपहरण/अपहरण किया गया है? पी0डब्लू0–1 शारदा उर्फ मुन्नीलाल ने अपने बयानों में यह कथन किया है कि जिस रात घटना हुई थी उस रात को गॉव के गनेश प्रसाद के घर में औरतों के गाना बजाना के कार्यक्रम में सम्मिलित होने उसकी नातिन अपनी मॉ व बड़ी अम्मा के साथ गयी थी। उक्त कार्यक्रम की रात्रि समय लगभग 12 बजे उसकी नातिन पेशाब करने हेतु बाहर निकली तभी गॉव का विवेक उर्फ बउवा यादव व लम्बरिया उसकी नातिन को बहला फुसलाकर गलत नीयत से जबरन पकड़कर ले गये। उसकी नातिन को ले जाते हुए नातिन की मॉ रित्तू व बड़ी अम्मा ऊषा

ने देखा था। आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि जब उसकी नातिन डेढ–दो वर्ष बाद शिवरामपुर चौकी में मिली थी तो उसको बताया था कि विवेक और लम्बरिया जबरदस्ती उसे पकड़कर ले गये थे, शुरू में अपने घर पर रखे थे और कहते थे कि चिल्लाओगी तो उसे जान से मार डालेगें। उसकी नातिन को पुलिस ने बरामद किया था तो पुलिस उसकी नातिन को कर्वी बयान दिलाने हेतु लेकर आये थे। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि घर आने पर उसे पता चला कि पीडिता को विवेक और लम्बरिया लेकर गये हैं। यह भी कहा है कि घटना के लगभग दो वर्ष बाद पीडिता पुलिस चौकी शिवरामपुर में उसे मिली। उसे पुलिस ने पीड़िता के मिलने की सूचना दिया था।

29. पी0डब्लू0–2 रीता ने अपने बयान में कथन किया है कि घटना के समय वह, उसकी जेठानी श्रीमती ऊषा देवी व उसकी पुत्री साथ में गॉव के गणेश प्रसाद धोबी के घर रात्रि 9 बजे औरतों के गाना बजाने के कार्यक्रम में सम्मिलित होने गयी थी। उक्त कार्यक्रम रात्रि के लगभग 12 बजे तक चला था। इसी समय उसकी पुत्री कार्यक्रम से उठकर पेशाब करने के लिए धोबी के मकान से बाहर गयी थी तभी गॉव का लड़का विवेक उर्फ बउवा यादव व लम्बरिया उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर गलत नीयत से भगा ले गये। इसके बाद हम लोगों ने अपनी लड़की की काफी खोजबीन किया परन्तु उनकी लड़की नहीं मिली तब उसके ससुर ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि उसके साथ उसकी जेठानी, उसकी लड़की गाना बजाने के कार्यक्रम में गये थे। यह गाना बजाने का कार्यक्रम लगभग दो घण्टे तक चला था। इस गाना बजाने के कार्यक्रम में लगभग 7–8 महिलायें थीं। उसकी बेटी लगभग 11–12 बजे पेशाब करने गयी थी, उसी समय घटना घट गयी थी। उसकी बेटी उसे बताकर गयी थी कि वह पेशाब करने जा रही है। घटना के बाद उसकी लड़की लगभग दो वर्ष बाहर रही थी। उसकी लड़की पुलिस चौकी में मिली थी।

30. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–3 जयकरन ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनॉक 09.02.2017 की रात्रि 9 बजे पडोसी गनेश प्रसाद के घर औरतों के गाना बजाना कार्यक्रम में सम्मिलित होने उसकी पुत्री अपनी मॉ व उसकी भाभी ऊषा देवी के साथ गयी थी। कार्यक्रम में रात 12 बजे उसकी पुत्री पेशाब करने गनेश प्रसाद के घर से बाहर निकली तो वहीं बाहर गॉव का लड़का विवेक उर्फ बउवा उसे बहला फुसलाकर ले गया। उसकी भाभी ऊषा विवेक उर्फ बउवा के घर पीडिता की पूछतांछ करने गयी थी लेकिन बउवा के घर वालों ने अपने घर का दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद हम अपनी लड़की की तलाश करते रहे और उसके पिता जी ने थाने में जाकर तहरीर दिया था। लगभग दो

वर्ष बाद चौकी शिवरापुर की पुलिस ने उनको सूचना दिया कि उनकी लड़की मिल गयी है। इस सूचना पर हम चौकी जाकर अपनी लड़की को घर ले आये थे। लड़की ने हम सबसे बताया था कि विवेक उर्फ बउवा उसे भगाकर सूरत ले गया था। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि गाना बजाने का कार्यक्रम गनेश मास्टर के घर हो रहा था। गाना बजाने के कार्यक्रम से जब उसकी पत्नी लौटकर आयी और उसे जगाकर घटना के बारे में बताया तो उसे इस घटना की जानकारी हुई। इस घटना के बाद लगभग दो वर्ष तक उसकी लड़की बाहर रही थी। उसकी पुत्री सीतापुर चौकी में आयी थी तथा शिवरामपुर पुलिस ने उसे सूचित किया था। उसकी पुत्री उसे 6 बजे सुबह मिली थी, तारीख याद नहीं है।

31. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–4 भोला ने अपने बयान में कथन किया है कि उसके छोटे भाई जयकरन की पुत्री आज से लगभग 8 वर्ष पूर्व समय 9 बजे रात्रि पडोसी गनेश प्रसाद के घर में औरतों के गाना बजाने के कार्यक्रम में अपनी मॉ व उसकी पत्नी ऊषा देवी के साथ गयी थी। उसकी भतीजी उक्त कार्यक्रम में लगभग 12 बजे पेशाब करने गनेश प्रसाद के घर से बाहर निकली तभी गॉव का विवेक उर्फ बउवा यादव व लम्बरिया उसकी भतीजी को बहला फुसलाकर भगा ले गये। यह घटना उसकी पत्नी ऊषा देवी व छोटे भाई जयकरन की पत्नी श्रीमती रीता देवी ने देखा जो घर आकर उससे व उसके पिता को यह सारी बात बतायी। वह व उसके पिता जी विवेक के घर गये तो विवेक की दादी श्रीमती बिन्दी से कहा कि पीडिता को घर से बाहर निकालो, दरवाजा खोला तो बिन्दी ने दरवाजा नहीं खोला और कहा कि चाबी नहीं है, उसके घर में उसके अलावा और कोई नहीं है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि पीडिता के पिता व उसका घर एक ही है परन्तु बॅटवारा है। उसका घर व विवेक उर्फ बउवा के घर में एक घर का अन्तर है। उसे रात लगभग 12–1 बजे बताया गया था कि पीडिता चली गयी है। घटना के बाद पीड़िता लगभग दो वर्ष बाद हम लोगों को मिली थी। खोजबीन के बाद जब पीडिता नहीं मिली तो वह व उसके पिता जी रिपोर्ट करने उसी दिन गये थे।

32. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–5 पीड़िता ने अपने बयानों में कथन किया है कि पड़ोस में एक शादी का कार्यक्रम था जिसमें वह अपनी मॉ के साथ वहॉ गयी थी। अभियुक्त विवेक उर्फ बउवा ने अपनी दादी से उसे बुलवाया और उसे बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर पहले शिवरामपुर लाया और वहॉ से एक चार पहिया वाहन से उसको बॉदा ले गया और बॉदा से ट्रेन से उसको सूरत वापी ले गया। विवेक उर्फ बउवा वापी में पहले से रहता था, वहॉ कमरा ले रखा था, उसी कमरे में उसे रखा था। इस घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जब

विवेक उर्फ बउवा पर दबाव पड़ा तो उसको उसके गॉव के बाहर छोड़कर चला गया। विवेचक ने उसका मजिस्ट्रेट के यहॉ बयान कराया था। वह विवेक उर्फ बउवा के साथ अपनी मर्जी से नहीं गयी थी। उसको आसपास के लोगों से बात नहीं करने देता था। कमरे के बाहर भी उसको कभी नहीं ले जाता था। कई बार उसने भागने का प्रयास किया तो उसको मारापीटा था, इसी डर के चलते वह न चाहते हुए भी उसी कमरे में रहती थी। जब वह उसके साथ गलत काम करता था तो वह उसका विरोध करती थी तो वह उसको मारता था और जान से मारने की धमकी देता था। इस साक्षी ने आगे कथन किया है कि यह बात सही है कि वह विवेक उर्फ बउवा के साथ उसके बहलाने फुसलाने पर गयी थी और उसने उसके साथ डरा धमकाकर उसकी इच्छा के खिलाफ जबरदस्ती बलात्कार करता रहा। इस साक्षी ने अपनी बयान धारा 164 दं0प्र0सं0 को प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया है।

33. इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि वह विवेक उर्फ बउवा को जानती है। विवेक उर्फ बउवा का घर उसके घर से दो घर बाद में है। घटना के दिन वह धोबिन के घर में थी। विवेक के साथ जाने के बाद वह दो वर्ष बाद वापस आयी थी। विवेक उसे दो वर्ष तक जबरदस्ती रखे रहा था। जिस घर में गाना बजाने का कार्यक्रम था वहॉ गाने बजाने का कार्यक्रम 8 बजे शुरू हुआ था और वह 12 बजे वापस आ गयी थी। जैसे ही 12 बजे वह वापस आने के लिए निकली थी वहीं से उसे अपने साथ ले गया था। जब वह 12 बजे निकली तो विवेक उसका हाथ पकड़कर ले गया था। विवेक उसे जंगल जंगल अपने साथ ले गया था। विवेक के ले जाते समय वह बहुत तेजी से चिल्लायी थी परन्तु गाना बजाने में किसी को सुनायी नहीं दिया। शिवरामपुर से चार पहिया गाड़ी की बुकिंग करके उसे बॉदा तक ले गया था। बॉदा से ट्रेन से वापी गये थे। जब विवेक खाना लेने, पानी लेने इत्यादि के लिए ट्रेन से नीचे जाता था तो उसने किसी व्यक्ति से कुछ इसलिए नहीं बताया कि वह उसके ऊपर दबाव डालता था। विवेक कहता था कि अगर किसी को बताओगी तो उसे ट्रेन के नीचे डाल देगा। विवेक लड़ाई झगड़ा करके उसे छोड़ने अपने साथ उसके गॉव तक आया था। लड़ाई झगड़ा हम दोनों के मध्य हुआ था।

34. धारा 361 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यपहरण को उपबंधित किया गया है जो निम्नवत् पठित है–

361. विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण–जो कोई किसी अप्राप्तवय को, यदि वह नर हो, तो सोलह वर्ष से कम आयु वाले को, या यदि वह नारी हो तो अट्ठारह वर्ष से कम आयु वाली को या किसी विकृतचित्त व्यक्ति को, ऐसे अप्राप्तवय या विकृतचित्त व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षकता में से ऐसे संरक्षक की

सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, वह ऐसे अप्राप्तवय या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है।

35. उपरोक्त परिचर्चा से यह तथ्य साबित है कि घटना की तिथि पर पीडिता की उम्र 18 वर्ष से कम थी। पीडिता घटना के समय यथापरिभाषित धारा 361 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत अवयस्क थी, उसकी सहमति महत्वपूर्ण नहीं है। पीडिता जो कि घटना के समय 18 वर्ष से कम थी, उसको विधिपूर्ण संरक्षकता से ले जाया गया, ऐसी दशा में धारा 361 भा0दं0सं0 में परिभाषित विधिपूर्ण संरक्षकता के संबंध में उपदर्शित उपबंध से अपराध धारित होता है। तद्नुसार अवधार्य बिन्दु सं0–2 निर्णीत किया जाता है।

36. **<u>निस्तारण अवधार्य बिन्दु सं0–3</u>**

इस अवधार्य बिन्दु के संबंध में इस तथ्य का विनिश्चय किया जाना है कि क्या अभियुक्त द्वारा पीड़िता के व्यपहरण/अपहरण करने का उद्देश्य पीड़िता के साथ विवाह या आयुक्त सम्भोग करना था? अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–1 लगायत पी0डब्लू0–4 द्वारा अपने बयानों में अभियुक्त द्वारा पीडिता को बहला फुसलाकर गलत नीयत से लिवा जाने के कथन किये गये हैं। पी0डब्लू0–5 पीडिता ने अपने सशपथ बयानों में यह स्पष्ट कथन किया है कि अभियुक्त विवेक उर्फ बउवा ने अपनी दादी से उसको बुलवाया और उसको बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर पहले शिवरामपुर लाया और वहॉ से एक चार पहिया वाहन से उसको बॉदा ले गया और बॉदा से ट्रेन से उसको सूरत वापी ले गया। यह भी कथन किया है कि विवेक उर्फ बउवा ने वहॉ उसके साथ उसकी इच्छा के विपरीत जबरदस्ती बलात्कार किया। जब भी वह उसके साथ गलत काम करता था तो वह उसका विरोध करती थी तो वह उसको मारता था और जान से मारने की धमकी देता था। यह बात सही है कि वह विवेक उर्फ बउवा के साथ उसके बहलाने फुसलाने पर गयी थी और उसने उसके साथ डरा धमकाकर उसकी इच्छा के खिलाफ जबरदस्ती बलात्कार करता रहा। यद्यपि इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि डाक्टरी मुआइना के लिए उसने मना कर दिया था। इस साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से दिये गये इस सुझाव को इन्कार किया है कि यह कहना गलत है कि मैं अपनी स्वेच्छा से विवेक के साथ गयी थी। यह भी कहना गलत है कि वहॉ हम दोनों मजदूरी करते थे और पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। यह भी कहना गलत है कि हमारे घरवालों ने विवेक उर्फ बउवा के खिलाफ फर्जी रिपोर्ट दर्ज करायी थी।

37. पीडिता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 में यह कहा है कि '' दो वर्ष पूर्व की घटना है। मैं अपने घर पर गाना बजवा रही थी। उस समय विवेक की दादी (नाम नहीं पता है), मेरे घर गयी और मेरा मुॅह बॉधकर लेकर

आयी थी। एक दिन रैपुरवा अपने घर में मुझे छिपायी थी। 10 तारीख को वापी लेकर मुझे चली गयी। केवल उसकी दादी ने मुझे विवेक साथ वापी भेजा था। दो दिन पूर्व मैं वापस वापी से आयी हूॅ। मैं वापी में विवेक के साथ थी। विवेक मुझे दबाव में वापी में रखा था, घर नहीं आने देता था। मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहती हूॅ।''

38. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **विजय सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य 2024 आई0एन0एस0सी0** में अन्य बातों के अलावा पैरा 28 एवं 31 में यह निर्णयज विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं–

28. Considering the conceptual requirement of recording a statement before a Judicial Magistrate during the course of investigation and the utility thereof, as prescribed in Section 157 of Evidence Act, it could be observed that a statement under Section 164, although not a substantive piece of evidence, not only meets the test of relevancy but could also be used for the purposes of contradiction and corroboration. A statement recorded under Section 164 CrPC serves a special purpose in a criminal investigation as a greater amount of credibility is attached to it for being recorded by a Judicial Magistrate and not by the Investigating Officer. A statement under Section 164 CrPC is not subjected to the constraints attached with a statement under Section 161 CrPC and the vigour of Section 162 CrPC does not apply to a statement under Section 164 CrPC. Therefore, it must be considered on a better footing. However, relevancy, admissibility and reliability are distinct concepts in the realm of the law of evidence. Thus, the weight to be attached to such a statement (reliability thereof) is to be determined by the Court on a case-to-case basis and the same would depend to some extent upon whether the witness has remained true to the statement or has resiled from it, but it would not be a conclusive factor. For, even if a witness has retracted from a statement, such retraction could be a result of manipulation and the Court has to examine the circumstances in which the statement was recorded, the reasons stated by the witness for retracting from the statement etc. Ultimately, what counts is whether the Court believes a statement to be true, and the ultimate test of reliability happens during the trial upon a calculated balancing of conflicting versions in light of the other evidence on record.

31. Having said so, we deem it fit to observe that a statement under Section 164 CrPC cannot be discarded at the drop of a hat and

on a mere statement of the witness that it was not recorded correctly. For, a judicial satisfaction of the Magistrate, to the effect that the statement being recorded is the correct version of the facts stated by the witness, forms part of every such statement and a higher burden must be placed upon the witness to retract from the same. To permit retraction by a witness from a signed statement recorded before the Magistrate on flimsy grounds or on mere assertions would effectively negate the difference between a statement recorded by the police officer and that recorded by the Judicial Magistrate. In the present matter, there is no reasonable ground to reject the statements recorded under Section 164 CrPC and reliance has correctly been placed upon the said statements by the courts below.

39. प्रस्तुत मामले में पीड़िता का बयान विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा दिनॉक 08.042019 को अंकित किया गया है। बयान में इस आशय का उल्लेख विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया है कि बयान स्वेच्छा से लिया गया और पीडिता के बोलने पर अक्षरशः मेरे द्वारा लिखा गया। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 164 दं0प्र0सं0 का बयान शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में लिखा गया है। पीडिता के बयान अन्तर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 को तिस्कृत किये जाने का कोई औचित्यपूर्ण कारण विद्यमान नहीं है।

40. पीडिता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0(कागज सं0– 18क) में कथन किया है कि '' दिनॉक 09.02.2017 को मेरे गॉव में प्रोग्राम था। मैं अपनी मम्मी व दादी के साथ गयी थी। मेरे पड़ोस का रहने वाला है, जिससे मेरा करीब 03 वर्ष से प्रेम चल रहा था, उसी बीच हम कार्यक्रम से मौका लगाकर विवेक के पास पहुॅच गयी और हम दोनों बिना किसी को बताये वहॉ से भागकर शिवरामपुर आये और एक आटो रिक्शा बुक करके बॉदा चले गये। हम दोनों वहॉ से ट्रेन पकड़कर वापी, सूरत पहुॅच गये और वहीं पर किराये का कमरा लेकर पति पत्नी की तरह रहने लगे तथा हम दोनों मिलकर वहीं पर मजदूरी करते थे जिससे हमारा गुजारा होता था। काफी दिन बाद विवेक को मालूम हुआ कि हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा गया है तो विवेक ने मुझको वापस भेजा है, मैं स्वयं चलकर चौकी आयी हूॅ, मुझे किसी ने भगाया नहीं है। मैं विवेक के साथ रहना चाहती हूॅ, लिखा पढ़ी करके हमको उसी के साथ भेज दिया जाये।''

41. कागज सं0– 14क जिसपर पीडिता व उसकी मॉ के निशानी अॅगूठा लगे हैं, के अवलोकन से विदित होता है कि पीडिता ने चिकित्सक से बाहरी व आन्तरिक परीक्षण कराने से इंकार कर दिया था तथा पीड़िता का कोई चिकित्सीय परीक्षण उपलब्ध नहीं है। पीडिता के धारा 161 दं0प्र0सं0 के

बयान एवं न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान धारा 164 दं0प्र0सं0 अर्थात विभिन्न चरण पर दिये गये बयानों के सूक्ष्म अवलोकन से यह दृष्टिगत होता है कि पीड़िता के साथ बलात्कार की घटना कारित नहीं हुई। पीडिता ने न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान में इस आशय का सुधार किया गया है।

42. इसके अलावा पी0डब्लू0–6 हे0का0 संदीप कुमार उपाध्याय द्वारा वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना एवं घ ाटना का खुलासा नकल रपट सं0– 22 दिनॉक 25.02.2017 समय 11.45 बजे में किया जाना जिन्हें क्रमशः प्रदर्श क–3 एवं प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया है। पी0डब्लू0–7 उपनिरीक्षक राजेश कुमार मिश्र द्वारा पूर्व विवेचको द्वारा किता किये गये पर्चो व साक्षीगण के अभिलिखित बयानों तथा सम्पूर्ण साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात अभियुक्त विवेक उर्फ बउवा के विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। इस साक्षी ने पूर्व विवेचक द्वारा तैयार की गयी नक्शा नजरी को प्रदर्श क–3 एवं स्वयं द्वारा तैयार किये गये आरोपपत्र को प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह तथ्य साबित है कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता को, जो अवयस्क थी तथा 18 वर्ष से कम उम्र की थी, उसे विधिपूर्ण संरक्षकता से बहला फुसलाकर ले जाया गया जिसका आशय धारा 366 भा0दं0सं0 में वर्णित आशय रहा है। तद्नुसार अवधार्य बिन्दु सं0–3 तद्नुसार निर्णीत किया जाता है।

43. उपरोक्त विवेचित तथ्यों से यह स्पष्ट प्रमाणित है कि अभियोजन साक्ष्य से यह पूर्णरूप से स्थापित है कि अभियुक्त विवेक उर्फ बउवा यादव ने दिनॉक 09.02.2017 को नाबालिग पीडिता को वादी की विधिपूर्ण संरक्षकता से उसका व्यपहरण किया गया। अभियोजन पक्ष अभियुक्त विवेक उर्फ बउवा यादव के विरूद्ध धारा 363 भा0दं0सं0 (नई धारा 137(2) बी0एन0एस0) व धारा 366 भा0दं0सं0 (नई धारा 87 बी0एन0एस0) के अन्तर्गत आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णरूपेण सफल रहा है। तद्नुसार अभियुक्त विवेक उर्फ बउवा यादव को धारा 363 भा0दं0सं0 (नई धारा 137(2) बी0एन0एस0) व धारा 366 भा0दं0सं0 (नई धारा 87 बी0एन0एस0) के अन्तर्गत आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **विवेक उर्फ बउवा यादव को धारा 363 भा0दं0सं0 (नई धारा 137(2) बी0एन0एस0) व धारा 366 भा0दं0सं0 (नई धारा 87 बी0एन0एस0**) के आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है। उसके व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं एवं जामिनदारान को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त

को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। अभियुक्त का अभिरक्षा वारण्ट निर्मित कर उसे तत्काल जिला कारागार, चित्रकूट भेजा जाये। दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली दिनॉक 07.05.2026 को पेश हो। नियत तिथि पर अभियुक्त को जेल से आहूत कर न्यायालय उपस्थित किया जाये।

दिनॉक–06.05.2026

(शेष मणि)
सत्र न्यायाधीश,
चित्रकूट।
जे0ओ0कोड–यू0पी05751

07.05.2026

दोषसिद्ध अभियुक्त विवेक उर्फ बउवा यादव जिला कारागार से आहूत होकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित आया।

शास्ति/दण्ड के प्रश्न पर मैने दोषसिद्ध अभियुक्त विवेक उर्फ बउवा व उसके विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

दोषसिद्ध अभियुक्त की तरफ से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है कि दोषसिद्ध अभियुक्त नवयुवक ग्रामीण परिवेश का मजदूरी पेशा का व्यक्ति है तथा उसके ऊपर घर परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी है। उसका यह प्रथम अपराध है तथा इसके पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः दोषसिद्ध अभियुक्त को आरोपित अपराध में कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये।

अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा अवयस्क पीडिता को वादी की विधिपूर्ण संरक्षकता से बहला फुसलाकर व्यपहरण करके ले जाया गया है। दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर सामाजिक अपराध है। अतः दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए उसे अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाये।

दोषसिद्ध अभियुक्त को ग्रामीण परिवेश का नवयुवक व्यक्ति होना बताया गया है तथा उसका कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास होना नहीं कहा गया है और न ही ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे यह उपदर्शित होता हो कि दोषसिद्ध अभियुक्त पूर्व में किसी अपराध में दोषसिद्ध हुआ है। ऐसी स्थिति में मामले के सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों व कारित अपराध की प्रकृति को विचारगत रखते हुए इस न्यायालय का यह अभिमत है कि दोषसिद्ध अभियुक्त विवेक उर्फ बउवा यादव को धारा 363 भा0दं0सं0 (नई धारा 137(2) बी0एन0एस0) के अपराध में चार वर्ष के कठोर कारावास व 5000/—रूपये(पॉच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से एवं अर्थदण्ड अदा करने में विफल रहने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास तथा धारा 366 भा0दं0सं0 (नई धारा 87 बी0एन0एस0) के अपराध में पॉच वर्ष के कठोर कारावास व 5000/—रूपये(पॉच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा करने में विफल रहने पर एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किये जाने से दण्ड के व्यापक सिद्धान्त के उद्देश्य की पूर्ति हो जायेगी। उपरोक्त अधिरोपित अर्थदण्ड का 50 प्रतिशत भाग पीडिता को प्रतिकर

के रूप में प्रदान किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

दोषसिद्ध अभियुक्त विवेक उर्फ बउवा यादव को धारा 363 भा0दं0सं0 (नई धारा 137(2) बी0एन0एस0) के अपराध में चार वर्ष के कठोर कारावास व 5000/—रूपये(पॉच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा करने में विफल रहने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।

दोषसिद्ध अभियुक्त विवेक उर्फ बउवा यादव को धारा 366 भा0दं0सं0 (नई धारा 87 बी0एन0एस0) के अपराध में पॉच वर्ष के कठोर कारावास व 5000/—रूपये(पॉच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा करने में विफल रहने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।

दोषसिद्ध अभियुक्त की सभी सजाएं साथ साथ चलेगीं।

दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में जेल में बितायी गयी अवधि उपरोक्त सजा में समायोजित होगी।

तद्नुसार दोषसिद्ध अभियुक्त के विरूद्ध सजायाबी वारण्ट बनाकर उसे सजा भुगतने के लिए जिला कारागार, चित्रकूट भेजा जाये।

उपरोक्त अधिरोपित अर्थदण्ड का 50 प्रतिशत भाग पीडिता को प्रतिकर के रूप में प्रदान किया जायेगा। प्रतिकर की उपरोक्त धनराशि का भुगतान अपील न होने की दशा में अपील हेतु विहित अवधि के उपरान्त तथा यदि अपील संस्थित की जाती है तो माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश के अध्यधीन होगा।

इस निर्णय की एक प्रति दोषसिद्ध अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनॉक— 07.05.2026

(शेष मणि)
सत्र न्यायाधीश,
चित्रकूट।
जे0ओ0कोड—यू0पी05751

यह निर्णय, आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनॉकित कर सुनाया गया।

दिनॉक— 07.05.2026

(शेष मणि)
सत्र न्यायाधीश,
चित्रकूट।
जे0ओ0कोड—यू0पी05751